आज समाचार

नगर निगम सीमा विस्तार से जुड़े विषय पर की चर्चा

जयपुर (कासं)। नगर निगम सीमा विस्तार से जुड़े विषय पर मंगलवार को खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। डॉ. मेघवाल ने कहा कि जयपुर रोड स्थित 52 वंचित कॉलोनियों को भी नगर निगम में शामिल किया जाए, जिससे इनमें आधारभूत सुविधाओं की वृद्धि हो और क्षेत्र वासियों को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने नियमानुसार और जनहित को ध्यान रखते हुए सकारात्मक कार्यवाही का विश्वास दिलाया। इस दौरान डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत, श्यामवीर, देवी सिंह शेखावत, अजय शर्मा और रामस्वरूप आदि साथ रहे। उल्लेखनीय है कि विधायक ने गत दिनों नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष से मुलाकात करते हुए इस विषय को रखा था। इसी कड़ी में विधायक मुख्यमंत्री से मिले।

ई-मित्र केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण

जयपुर (कासं)। जिला मुख्यालय पर संचालित ई-मित्र केन्द्रों में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की की ओर से टीमें गठित करते हुए मंगलवार को विभिन्न ई-मित्र केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अतिनिदेशक श्री सत्येन्द्र राठौड़ के अनुसार विभिन्न विभागों की योजनाओं के कार्यों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की वसूली, रेट लिस्ट नहीं लगाने की शिकायतों की जांच के लिए किए गए निरीक्षण के दौरान 2 ई-मित्र केन्द्रों श्यामसुन्दर ई-मित्रा एवं सारिका ई-मित्रा (बद्रीनारायण) गंगाशहर पर अधिक राशि वसूलना पाया जाने पांच हजार रुपए प्रत्येक केन्द्र पर शास्ति आरोपित करते हुए 15 दिवस के लिए निलम्बित किया गया है। राठौड़ ने स्थानीय सेवा प्रदाता को सभी शेष ई-मित्र केन्द्रों पर अविलम्ब रेट लिस्ट लगवाने के निर्देश दिए। ई-मित्र केन्द्र धारकों को निर्देशित किया किसी भी सरकारी योजना के आवेदन में आवेदक से अधिक राशि नहीं वसूली जाए। आवेदक की सही सूचना, मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी ही फीड की जाए, जिससे आवेदक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने डेयरी महाविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण

जयपुर (कासं)। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री श्री जोराराम कुमावत और कार्मिक मंत्री श्री जेठानंद व्यास ने मंगलवार को बिछवाल में डेयरी विज्ञान एवं तकनीकी महाविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजुवास कुलपति डॉ मनोज दीक्षित, श्री चंपालाल गेदर, श्री राजाराम सीगड़, उरमूल डेयरी एमडी श्री बाबूलाल बिश्नोई, राजुवास के अनुसंधान निदेशक डॉ बी.एन.श्रृंगी, डेयरी महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ राहुल सिंह पाल, वेटरनरी संकाय अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता डॉ हेमंत दाधीच, क्लिनिक निदेशक डॉ प्रवीण बिश्नोई, पीजी अधिष्ठाता डॉ राजेश धूड़िया, , एडीआर डॉ एन.एस.राठौड़, डॉ संदीप खरे, पशुधन अनुसंधान केन्द्र बीकानेर के (राठी गाय) प्रभारी अधिकारी डॉ विजय बिश्नोई, पशुधन अनुसंधान केन्द्र बिछवाल (थारपारकर) प्रभारी अधिकारी डॉ मोहनलाल, डॉ प्रकाश शर्मा, डॉ अशोक डांगी समेत अन्य स्टाफ व विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। पशुपालन मंत्री ने नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में बनी हुई विभिन्न लैब और कक्षा कक्षों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि डेयरी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन से विद्यार्थियों को लाभ होगा।

कार्यालय संवाददाता, बीकानेर। देशनोक पुल हादसा संघर्ष समिति के बैनर तले [illegible] हमारे महेन्द्र गहलोत ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था, लेकिन राजस्थान की [illegible] उन्होंने बताया कि इससे पहले भी तीन नौजवानों का एक्सीडेंट में मौत, गैरसर में तीन लड़के एक साथ एक्सीडेंट में मौत हो गई, जो मेघवाल समाज के थे उनमें भी भयंकर गुस्सा था। आज मेघवाल समाज के लोग भी अपने साधन लेकर इस धरने में सम्मिलित हुए।

मेघवाल ने कहा कि जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो ऐसे हादसों में प्रत्येक पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता तथा परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाती थी। अभी जयपुर में नाहरगढ़ में ऐसा एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर 50 लख रुपए और संविधान में नौकरी दी गई लेकिन यह गरीब नाई समाज के लोग हैं मेघवाल समाज के लोग हैं, इन्होंने ज्ञापन दिए लेकिन राजस्थान की सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम एक ही

दिन में घटित घटनाओं में 12 जनों की हुई मौत को लेकर संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज धरना व प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। जब तक राजस्थान सरकार प्रत्येक पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए और संविदा की एक-एक नौकरी नहीं देगी, तब तक हम लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे। मेघवाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने इस देश को अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी दिलाई, जब राज सुनवाई नहीं करता है तो हमें आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें वोट का अधिकार मिला लेकिन हम शांत स्वभाव के होने के कारण सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है। आज यहां के मंत्री है जिनकी ड्यूटी है कि तुरंत उनकी मांग पूरी करनी चाहिए लेकिन सरकार का गरीब किसान दलित ओबीसी के प्रति कोई झुकाव नहीं है। इनके अफसर सारे एसी कमरों में आनंद ले रहे हैं बाहर रह कर के जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। मेघवाल ने कहा कि यह डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, हमारा अधिकार है कि हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे।

आज के प्रदर्शन करने के बाद में महेंद्र गहलोत व रामनिवास कूकणा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई है कि जब तक 50-50 लाख रुपए प्रति परिवार को और संविदा की एक-एक नौकरी नहीं मिलेगी, हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने कहा की नई समाज पहली बार सड़कों पर उतरा है। हमने सब जगह ज्ञापन दिए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई इसलिए हम अब यह जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे, और जरूरत पड़ी तो हमारी दुकानों में भी हड़ताल रखेंगे। महेंद्र गहलोत ने कहा कि नाई समाज सीधा-साधा समाज है लेकिन अपनी जिद पर आ जाये तो अपनी मांगे मनवानी जानता है। इसके साथ में 36 कौम का सहयोग है, 36 कौम के लोग आज धरने पर बैठे हैं। जब अशोक गहलोत जी की सरकार में प्रत्येक परिवार को 50 लाख एक [illegible] क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? इसलिए आज हमें मजबूरन 25 दिन बाद इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ धरने पर बैठना पड़ा है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमें ईद से ही बजा देंगे लेकिन सरकार को झुका कर रहेंगे, यह हमारा संकल्प है।

इस धरने को सम्बोधित करते हुए नेता रामनिवास कूकणा ने कहा कि हर संघर्ष में युवा हमेशा आगे रहता है। हमे लाठीयां खानी पड़े या जेल में जाना पड़े लेकिन हम सरकार को झुकाएंगे क्योंकि प्रजातंत्र में आंदोलन करना हमारा अधिकार है आंदोलन के माध्यम से कई बार हमने सरकार को झुकाया है। कूकणा ने कहा कि घर के मुखियाओं को खो देने के बाद भी न्याय के लिये विधवाओं को सड़क पर बैठना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सरकार ने अगर समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी तो हम आर-पर की लड़ाई लड़ेंगे। यह पीड़ित परिवारों के लिये न्याय की मांग है इसके अंदर भी सरकार पक्षपात कर रही है। आज दलित और पिछड़ा वर्ग की जगह अगर कोई पूंजीपति मरता तो घर पर सामने जाकर के यह सरकार मुआवजा देने की पेशकश करती, लेकिन यह मूल ओबीसी के लोग हैं उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमने संकल्प लिया है कि जब तक पीड़ित परिवारों को राहत नहीं मिलेगी हम इनका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। संघर्ष समिति ने [illegible] प्रतीकात्मक रावणवध निकाला गया, पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। प्रवक्ता ओम प्रकाश सैन ने बताया कि इस दौरान धरने को नोखा की विधायक श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी, प्रभुदयाल सारस्वत ने भी संबोधन किया। साथ ही खींयाराम सैन कोलायत, विमल भाटी श्रीडूंगरगढ़, राहुल जादूसंगत, विक्रम स्वामी, धर्मवीर गोदारा, मोहनलाल लीलन, राजेंद्र बापेऊ, दानाराम घिंटाला, सीताराम नायक, पार्षद पारस मारू, पार्षद धनराज सैन, एडवोकेट सुनील भाटी, कावनी सरपंच बागाराम, शब्बु खां कावनी, बदरासर सरपंच बजरंग लाल सैन, चाण्डासर पूर्व सरपंच विनोद गौड, बाबुलाल भरू, महेश मेघवाल, शंकर जी किशनासर, जगदीश किरतासर, पुरूषोतम नाई गंगाशहर, भाई विकास मारू, जय नारायण मारू, शिवजी नेता गंगाशहर, देशनोक के अध्यक्ष ओमप्रकाश मूंधड़ा, विमल गहलोत, सुषमा बारूपाल आदि ने भी संबोधन किया। धरना स्थल पर आज सैन समाज के साथ-साथ सर्व समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे जिनमें मुख्य रूप से एडवोकेट गुलाबचन्द मारू, एडवोकेट नितिन मारू, अजय मारू, मनीराम सैन, पर्वत सैन कतरियासर, विजय कुमर धांधल, कमल सैन, धनराज सैन, पवन सैनं, गौरीशंकर, भवानी शंकर, मघाराम

जयपुर (कासं)।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश के विकास के लिए सड़कें, भवन और पुल जैसे भौतिक संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन देश सही मायनों में विकसित तब होता है, जब प्रत्येक नागरिक शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक रूप से सशक्त होंगे। उन्होंने युवाओं के कौशल्य विकास पर जोर दिया और अध्ययनशीलता के विकास का आह्वान किया। राज्यपाल बागडे ने मंगलवार को राजस्थान पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए यह उद्गार व्यक्त किए। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के मीरा बाई सभागार में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल ने कहा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी को शिक्षा के साथ कौशल विकास और चारित्र निर्माण की शिक्षा मिलती थी। आज भी शिक्षार्जन और डिग्री हासिल करने के साथ विद्यार्थी खेल, शारीरिक व्यायाम आदि गतिविधियों में भी भागीदारी निभाएं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे गुरु दक्षिणा के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में एक-एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादाई होगा। राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में आरम्भ से ही समृद्ध रहा है। ऋग्वेदिक काल में भी पशुपालन पूर्णतया विकसित था। अथर्ववेद में पशुओं की बीमारियों, आयुर्वेदिक दवाओं और बीमारियों के इलाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। शालिहोत्र, दुनिया के पहले ज्ञात पशु चिकित्सक थे। उनका लिखा ग्रंथ शालिहोत्र संहिता, पशु चिकित्सा पर महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने विश्वविद्यालय में यह ग्रन्थ उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए, जिससे विद्यार्थियों को इनकी जानकारी हो सके। राज्यपाल ने कहा कि पशु चिकित्सा और विज्ञान के प्राचीन ज्ञान से नई पीढ़ी को अवगत करवाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। यहां गिर, साहीवाल और मुर्रा जैसी नस्लें उच्च गुणवत्ता का दुध देती हैं। इसके अलावा बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन से मांस तथा अंडो का उत्पादन होता है। इस दिशा में और कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने विश्वविद्यालय की गतिविधियों की सराहना की। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के त्रैमासिक न्यूजलेटर के नवीनतम अंक, विश्वविद्यालय की एक वर्ष की प्रगति पुस्तिका का लोकार्पण के एफिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, पुनर्निर्मित वेबसाइट और कार्मिकों की उपस्थिति के फेस रिकॉगनेशन सिस्टम की शुरुआत की। पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान कृषि बाहुल्य प्रदेश है। हमारे प्रदेश के लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े हैं।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड-प्रथम, जयपुर।

क्रमांकः- 107-126 दिनांकः- 04-04-2025

निविदा सूचना संख्या-9-16/2025-2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न कार्यों हेतु नियमानुसार उपर्युक्त श्रेणी में इस विभाग में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग/रिवर्स ऑक्शनर्स के निमित्त ऑनलाईन मी चाही है।

निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से दिनांक 24.04.2025 तक की सायं 5.00 बजे तक डाउनलोड अपलोड किए जा सकते हैं। वेबसाईट पर तकनीकी बिड दिनांक 25.04.2025 को इस कार्यालय में अपराह्न 11.00 बजे खोली जाएगी। राजस्थान सरकार, वित्त (बी एण्ड टी) निभाग के परिपत्र क्रमांक प.6.(5)वित्त/ग्रांत लेटर/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ईशेल्टरेयेस पोर्टल पर ई-निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य (Tender Fee) बिड सिक्योरिटी (EMD) एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाना आवश्यक है।

निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाईट https://www.eproc.rajasthan.gov.in/ www.dipronline.org पर देखे जा सकते हैं।

NIT No. 9-UBN-PHE2526WSRC00255, NIT No. 10-UBN-PHE2526WSRC00256
NIT No. 11-UBN-PHE2526WSRC00257, NIT No. 12-UBN-PHE2526WSRC00258
NIT No. 13-UBN-PHE2526WSRC00259, NIT No. 14-UBN-PHE2526WSRC00260
NIT No. 15-UBN-PHE2526WSRC00261, NIT No. 16-UBN-PHE2526WSRC00262

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, जयपुर
फोनः 0141-2221802

टीआईपीआर/सी/4854/25

22 मार्च से अब तक 439 अवैध पानी कनेक्शन हटाए

24 घंटे चल रहा है विभाग का कंट्रोल रूम नंबर 0151-2226454

आमजन पानी से संबंधित समस्या दूरभाष नम्बर 0151-2226454 पर करवा सकते हैं दर्ज

बीकानेर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने प्रस्तावित नहर बंदी के दौरान पेयजल कटौती के मद्देनजर जल संकट से निपटने को लेकर अवैध पानी कनेक्शन हटाने का अभियान 22 मार्च से चला रहा है। विभाग के अधीक्षण अभियंता खेमचंद सिंगारिया ने बताया कि अभियान के अंतर्गत अब तक 439 अवैध पानी कनेक्शन हटाए जा चुके हैं। अभियान के अंतर्गत सभी सहायक अभियंता अपने अपने क्षेत्र में नियमित रूप से अवैध जल संबंधों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रहे हैं। सिंगारिया ने बताया कि विभागीय निर्देशों की अनुपालना में अवैध जल संबंध पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। जिसके अंतर्गत विभागीय संपत्ति को नुकसान के साथ साथ जल चोरी की मात्रा के आंकलन अनुसार जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। सिंगारिया ने बताया कि जल का अपव्यय रोकने तथा पेयजल से संबंधित समस्या के निदान हेतु विभाग का कंट्रोल रूम 24 घंटे लगातार कार्य कर रहा है जिसका दूरभाष नम्बर 0151-2226454 है। आमजन पानी से संबंधित समस्या इस दूरभाष नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। यदि लीकेज की समस्या कहीं है तो आमजन विभाग को तुरंत अवगत कराएं। विभाग द्वारा समय रहते इसे दुरूस्त कर व्यर्थ बह रहे पानी को रोककर जल बचत की जाएगी। प्रस्तावित नहर बंदी के दौरान पेयजल कटौती के मद्देनजर सिंगारिया ने आमजन से पुनःअपील की है कि पानी की बचत और जल संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आमजन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर और अपनी आदतों में बदलाव करके जल संरक्षण कर सकता है।

टपकता नल एक दिन में 80 लीटर जल बर्बाद कर देता है

सिंगारिया ने बताया कि अपने घरों में टपकते हुए नल को ठीक करवाएं क्योंकि एक टपकता नल दिन भर में करीब अस्सी लीटर पानी बर्बाद कर देता है। नहाते वक्त शॉवर के बजाय बाल्टी में पानी भरकर नहाएं। ऐसा करके प्रतिदिन एक परिवार तकरीबन सौ लीटर पानी की बचत कर सकता है। शौचालयों में भी पानी का प्रयोग मितव्ययिता से करें।

घर के बाहर अनावश्यक पानी का छिड़काव ना करें

उन्होंने बताया कि यह आमतौर पर देखा गया है कि लोग गर्मी में अपनी छतों और घर के बाहर अनावश्यक पानी छिड़काव करते हैं, ऐसा नहीं करके हम प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी की बचत कर सकते हैं। इसी तरह सार्वजनिक पानी स्टैंड का भी उचित प्रयोग करें और वहां बहता पानी न छोड़कर अपने नागरिक दायित्व निभाते हुए बहते जल का नल तुरंत बंद कर दें। उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के लोग वैसे भी जल के प्रति संवेदनशील हैं और अपने जीवन में जल के महत्व को समझते हैं लिहाजा जिले का आमजन पानी के प्रति सजग रहकर नहरबंदी के दौरान विभाग का सहयोग करे।

Manibhavnam Home Finance India Private Limited
Head Office: N-2, Second Floor, South Extension-1, New Delhi - 110049
"APPENDIX-IV-A" [See proviso to rule 8(6)] Sale notice for sale of Immovable Properties

ManiBhavnam Home Finance

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable property mortgaged / charged to the MANIBHAVNAM HOME FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED (Secured Creditors), the possession of which has been taken by the Authorised Officer of MANIBHAVNAM HOME FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED, Secured Creditor, will be sold on 'As is where is', 'As is what is' and 'Whatever there is' basis on 15.05.2025, for recovery of amount as mentioned below, due to the Secured Creditors from following Borrower(s), Guarantor(s) and Corporate Guarantor(s). The reserve price and earnest money to be deposited is mentioned below respectively.

Name of Borrower, Co-Borrower/ Guarantor(s) with address/es	Description & Owner(s) of Properties	Reserve Price (RP) & EMD Amount 10% of the Reserve Price & Incremental Amount	Recovery Amount as per Demand Notice	Date & Time of On-Site Inspection of Property	Date & Time of E-Auction
1. Mrs. Teena Khatri, Mr. Lokesh Kumar HL0000000007149	Flat No.-F-4, 1st Floor, P. No.-i-9, Manglam City Vistar, Gram Pithawas Urf Niwaru, Jaipur 303012	75,000 10000	7,50,000	Date 05-05-2025 Time 10.00Am	Date 15-05-2025 Time 10.00 Am
Sita Rajwani // Jitendra Rajwani LP0000000009373	Plot No.-A-148, Monika Vihar-2nd, Gram-mangyawas, The. - Sanganer, Jaipur- 302020	520000 10000	52,00,000	Date 05-05-2025 Time 10:00Am	Date 15-05-2025 Time 10:00 Am
RIYA J ETHWANI HL0000000007641	Flat No.-104, G.F., P. No.-T-56, 57, 58, T-Block, Narayan Vihar, Shrangarpura, The.-Sanganer, Jaipur-302029	330000 10000	33,00,000	Date 05-05-2025 Time 10:00Am	Date 15-05-2025 Time 10:00 Am
Mrs. Sarupi And Mr. Murarilal HI0000000006982	Plot No.-42, Mahadev Nagar, Gram Khori, Luniyawas, Jaipur	120000 10000	12,00,000	Date 05-05-2025 Time 10:00Am	Date 15-05-2025 Time 10:00 Am
Pratiksha Gupta HI0000000008136	Flat No. F-101, Ground Floor, Yes Apartment, Plot No- T-56 to 58, Scheme Narayan Vihar, Block-T, Shrangarpura, Sanganer Jaipur - 302029	330000 10000	33,00,000	Date 05-05-2025 Time 10:00Am	Date 15-05-2025 Time 10:00 Am

EMD amount shall be remitted through NEFT/RTGS/Funds Transfer in favor of "Manibhavnam Home Finance India Private Limited" Bank Account No.192121042214794, AU Small Finance Bank IFSC code AUBL0002104, Branch- East of Kailash, New Delhi. Last date for deposit of EMD and uploading Bid documents: 14.05.2025 12.00 PM at https://www.bankauctions.com The balance 25% of final purchase price minus EMD Amount shall be deposited by the successful bidder, latest by the next working day by way of RTGS/NEFT in the E-Auction account of Manibhavnam Home Finance India Private Limited, as detailed above. The balance 75% of the final purchase shall be deposited by way of RTGS/NEFT within 15 days from the date of auction in the same E-Auction account as above. The refund of EMD to the unsuccessful bidders shall be made only in the account number mentioned by such bidder in the Bid form within 5 working days. Terms and Conditions: - E-auction is being held on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis and will be conducted 'Online'. The auction will be conducted through Mokhana's approved service provider M/s 4 Closure at the web portal https://www.bankauctions.com. Bid Documents, Declaration, General Terms and Conditions of online auction sale are available in https://www.bankauctions.com. To the best of knowledge and information of the **Rajesh Kumar Sharma, Mob 9829284255 Umrae Singh Shekhawat mob no 8003402847 Authorized Officer,** there is no encumbrance on the properties. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of properties put on auction and claims/rights/dues/ affecting the property/i.e.s, prior to submitting their bid, in this regard, the e-Auction advertisement does not constitute and will

Authorised officer
Manibhavnam Home Finance India Private Limited

Date :- 16.04.2025 Place :- Jaipur

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक राजेश अग्रवाल के लिए मुद्रक (राजेश अग्रवाल) एम.बी. प्रिन्टर्स, सी-74 सुदर्शनपुरा औद्योगिक ऐरिया बाईस गोदाम, जयपुर (राजस्थान) से मुद्रित एवं 82/688 प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित
मो. 98875 54428, 7014228426, संपादक- राजेश अग्रवाल। सिटी कार्यालय-सी-74 सुदर्शनपुरा औद्योगिक एरिया, बाईस गोदाम, जयपुर । E-mail:mahabharatjyoti@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर न्यायालय होगा)